



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1122) पटना, वृहस्पतिवार, 17 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2026

सं 06/EH & S-01-06/2026-7479/जे0—बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विधि पदाधिकारियों की कोटि में अपर स्थायी विधिक सलाहकार (ASC) के पद पर निम्नांकित अधिवक्ताओं को वचनबद्ध किया जाता है:-

क्र0सं0	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	मोबाईल नम्बर
1.	Smt. Aditi Tripathi	D/2092/2012	9903072274
2.	Shri Azmat Hayat Amanullah	D/2580/2010	9810612316
3.	Shri Purnendu Bajpai	UP/05200/2015	8077118198
4.	Shri Amit Chaudhary	P/1331/2001	9216786611
5.	Shri Naveen Kumar	D/2593/1999	9899697779

2. उक्त वचनबद्ध सभी अपर स्थायी विधिक सलाहकार (ASC) को उनके नाम के पहले अंकित क्रम संख्या से ही जाना जायेगा। अर्थात् क्रम संख्या-01 में उल्लेखित नाम को अपर स्थायी विधिक सलाहकार संख्या-01 (ASC-01) कहा जायेगा। यह क्रम परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जायेगा।

3. उक्त सभी विधि पदाधिकारी वचनबद्धता के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से सरकार के अगले आदेश तक पद को धारित करेंगे एवं देय शुल्क का भुगतान प्रभार ग्रहण की तिथि (पूर्वाह्न/अपराह्न को दृष्टिपथ में रखकर) से किया जायेगा।

4. उक्त सभी विधि पदाधिकारी को विधि विभागीय पत्रांक-4418/जे0, दिनांक-13.06.2023 एवं विधि विभागीय पत्रांक-118/जे0, दिनांक-08.01.2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) अथवा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो विनिश्चित की जायेगी, के अनुसार शुल्क भुगतान किया जायेगा। शुल्क की देयता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, भुगतान की प्रक्रिया में प्रभावी होगा।

5. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/वचनबद्ध हो एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से थपगमक मासिक शुल्क प्राप्त कर रहे हो या जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी न्यायाधिकरण में प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो तो उन्हें पद से एक (01) माह के अन्दर त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस संबंध में संज्ञान होने पर महाधिवक्ता की अनुशांसा पर उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी उक्त नियमावली के नियम-7 में निरर्हताएँ के संबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन किसी भी समय निरर्हक पाये जाते हैं, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी वचनबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

7. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता द्वारा जारी आदेश/निर्देश/अनुदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में समीक्षोपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, यह मामला उनकी वचनबद्धता की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।

9. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उक्त नियमावली के नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करेंगे। नियम-8 में उल्लेखित कर्तव्यों के पालन में असफलता की स्थिति में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारी के कार्य से किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा।

10. उक्त नियमावली के नियम-11 के आलोक में उक्त सभी वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को भेजी जायेगी तथा समीक्षोपरांत विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जायेगा।

11. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।

12. विधि पदाधिकारियों को अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से विधि पदाधिकारी की अनुपस्थिति के शिकायत पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

13. सभी विधि पदाधिकारी, सरकार के विरुद्ध आदेश पारित होने पर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ प्रतिवेदित करेंगे कि इस मामले में अपील/पुनर्विचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में

शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अंदर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।

14. उक्त वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों में प्रत्येक को 03 सहायक अधिवक्ता अनुमान्य होंगे। उक्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सहायक अधिवक्ता की अनुमान्यता एवं इस संबंध में महाधिवक्ता की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जानेवाले विनिश्चय अथवा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत आदेश लागू होगा।

15. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वचनबद्धता के दो माह के अंदर सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुशंसा के संबंध में कार्रवाई कर ली जाय। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को वचनबद्ध किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया जायेगा।

16. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अपर स्थायी विधिक सलाहकार (ASC) के पद पर नियुक्ति/वचनबद्धता हेतु निर्गत पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित किया जाता है।

18. यह आदेश, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1122-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>